<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3907

19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात सामग्री हेतु रेल प्रभार

3907. श्री सी॰ एस॰ पुट्टा राजूः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपनी उन घरेलू नीतियों पर विचार किया है जिस कारण घरेलू इस्पात उत्पादकों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश के इस्पात क्षेत्र को रेलवे की भाड़ा नीति और स्वच्छ ऊर्जा अधिभार किस हद तक प्रभावित कर रही है;

(घ) क्या रेल मंत्रालय के साथ इस संबंध में कोई चर्चा की गयी है ताकि इस्पात सामग्री हेतु प्रशुल्क में संशोधन कर उसे कोयले पर लगने वाले प्रशुल्क के समतुल्य लाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): सरकारी नीतियाँ इस्पात उद्योग के विकास और उन्नति के लिए सहयोगी रही हैं। सरकार ने इस्पात उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और देशीय निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति लागू की है तथा लाईफ साईकल कॉस्ट एनालिसिस को शामिल करने हेतु जीएफआर, 2017 में संशोधन किए हैं।

(ग): रेलवे भाड़ा नीति इस्पात उद्योग को इस्पात औऱ उसके कच्चे माल की परिवहन लागत के मामले में प्रभावित करती है। जहाँ तक स्वच्छ ऊर्जा सेस का संबंध है, इसे हटाया गया है।

(घ) और (ङ): रेल मंत्रालय को लौह अयस्क के भाड़ा वर्गीकरण संबंधी मामले से अवगत करवाया गया है और इस तरह के मामलों पर ध्यान देने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

******